न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट शाहबाद, जिला बारां

पीठासीन अधिकारी :– दीनानाथ बबल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:–14/19

दायर दिनांक:– 08.05.2019

निर्णय दिनांक :–03.12.2019

उनवान

नब्बो उम्र 55 साल पत्नि श्री रघुवीर जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहबाद बारां राज.।

–वादनी

बनाम

1. गजनलाल पुत्र श्री परमा जाति काछी निवासी होडापुरा तहसील शाहबाद बारां राज.
2. अजुद्दी पुत्री परमा पत्नि बुद्दु जाति काछी निवासी क्रेसर बस्ती अन्नतपुरा कोटा राज.
3. रामप्यारी पुत्री परमा पत्नि श्रीलाल जाति काछी निवासी कस्बाथाना तह. शाहबाद ज़िला बारां राज.।
4. सूखा पुत्र इमरतलाल जाति काछी निवासी होडापुरा हाल कस्बाथाना तह. शाहबाद जिला बारां राज.।
5. हरि पुत्र इमरतलाल जाति काछी निवासी होडापुरा तह. शाहबाद बारां राज.।
6. पप्पू पुत्र इमरतलाल जाति काछी निवासी होडापुरा तह. शाहबाद बारां राज.।
7. रामदयाल पुत्र इमरतलाल जाति काछी निवासी होडापुरा तह. शाहबाद बारां राज.।
8. सोमवती पुत्री इमरतलाल जाति काछी निवासी होडापुरा हाल गलथूनी तह. पोहरी जिला शिवपुरी म.प.।
9. साजन्दे पत्नि इमरतलाल जाति काछी निवासी होडापुरा तह. शाहबाद बारां राज.।
10. गणेशराम पुत्र गोलई जाति काछी निवासी होडापुरा तह. शाहबाद बारां राज.।
11. हेमराज पुत्र गोलई जाति काछी निवासी होडापुरा तह. शाहबाद बारां राज.।
12. वुद्दो पत्नि गोलई जाति काछी निवासी होडापुरा तह. शाहबाद बारां राज.।
13. भोटा पुत्री गोलई पत्नि काकू जाति काछी निवासी टुकी तह. पोहरी जिला शिवपुरी म.प.।
14. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील शाहबाद जिला बारां राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है:–

1– ग्राम होडापुरा तहसील शाहाबाद में आराजी खसरा नम्बर 585 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा स्थित है जिसे वाद पत्र में आगे विवादित आंराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

उप खण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner

2– विवादित आराजी वादनी ने प्रतिवादी क्रम 1,2,3 एवं 4 ता 13 के पिता पति पितामह इमरतलाल से दिनांक 24/6/05 को जर्ये रजि. विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है जबसे वादनी उक्त आराजी को बहैसियत मालिक काश्त करती चली आ रही है इस विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आराजियात का नामान्तरकरण संख्या 169 वादिया के पक्ष में खोला जाकर दिनांक 4/5/08 को बाबाला वादनी को कोई सूचना दिये बिना यह कहकर खारिज कर दिया गया कि असल दस्तावेज नहीं है। इसके बाद भी पटवांरी ने तत्कालीन जमाबन्दी में विवादित आराजी नामान्तरकरण संख्या 169 से वादनी के नाम खाते होने का इन्द्राज कर दिया इसी आधार पर वादनी यह समझ रही थी कि विवादित आराजी विक्रय पत्र के आधार पर वादनी के खाते दर्ज हो चुकी है। विवादित आराजी वादनी ने उचित प्रतिफल के बदले जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आराजी के तत्कालीन खातेदारन से क्रय की कब्जा प्राप्त किया है जब से ही वादनी विवादित भूमि पर बहैसियत खातेदार स्वामी काबिज होकर काश्त करती चली आ रहीं है और वादनी नामान्तरकरण संख्या 169 ग्राम होडापुरा पर पारित आदेश को अवैध एवं प्रभावहीन घोषित करा कर आराजी पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा पा सकने की अधिकारी है।

3– तत्कालीन खातेदार/विक्रेतागण जिनमें से इमरतलाल का व उसके एक लडके गोलई का देहान्त हो चुका है प्रतिवादी क्रम 4 ता9 तथा प्रतिवादी क्रम 10 ता 13 जो मृतक गोलई के वारिस है इस तरह प्रतिवादी क्रम 4 ता 13 मृतक खातेदार/विक्रेता इमरतलाल के वारिस है से वादनी ने विवादित आराजी वादनी के खाते दर्ज कराने को कहा तो उन्होंने दिनांक 2/5/19 को साफ इन्कार कर दिया और आराजी को अन्य को विक्रय करने की धमकी दी इस कारण वादनी को यह वाद प्रस्तुत करना पड रहा है।

4– प्रतिवादी क्रम 14 सर्वोच्च भूस्वामी होने के कारण वादपत्र में पक्षकार बनाया है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी से वादी को बेदखल कर अन्य व्यक्ति को विक्रय करने पर आमादा हैं। इस ऐसी स्थिति में यदि प्रतिवादी क्रम 14 को धारा 80 सी.पी.सी का नोटिस देकर उसके समय निकलने का इन्तजार किया गया तो प्रतिवादीगण वादी को विवादित आराजी से बेदखल करने में कामयाब हो जावेंगे इस कारण वादी धारा 80(2) सी.पी.सी. माननीय न्यायालय की अनुमति से वादपत्र प्रस्तुत कर रही है।

5– वादकारण दिनांक 2/5/19 को प्रतिवादी द्वारा वादी से विवादित आराजी वादनी के खाते दर्ज कराने से साफ इन्कार कर देने पर बमुकाम होडापुरा में उत्पन्न हुआ है।

अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित फरमावें कि विवादित आराजी का वादनी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादनी के नाम दर्ज की जावे। अन्य सहायता जो न्यायोचित हो वह भी प्रदान की जावे।

प्रकरण वाद जांच दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया गया।

23-Dec-19 11:25:55

उप खण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी 1 ता 13 जरिये अधिवक्ता इकवाली जवाब दावा मद नं. 1 से 7 तक स्वीकार किया। साक्ष्यवादी में वादनी नब्बो बाई पत्नि रघुवीर (PW-1) का शपथ पत्र पेश कर बयान कराये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 (प्रदर्श 1), विक्रय पत्र की असल प्रति (प्रदर्श 2), तथा छाया प्रति (प्रदर्श 2ए), नामान्तरकरण संख्या 169 की प्रति (प्रदर्श 3), जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 की नकल (प्रदर्श 4), चौसाला जमाबन्दी की नकल संवत् 2061 से 2064 (प्रदर्श 5) एवं विवादित भूमि की संवत् 2065 से 2068 की नकल जमाबन्दी पेश (प्रदर्श 6) की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया।

ग्राम होडापुरा आराजी खसरा नं. 585 रकबा 3.04 बीघा वादनी ने प्रतिवादी क्रम 1,2,3 एवं 4 ता 13 के पिता, पति, पितामह इमरतलाल से दिनांक 24.06.2005 को उचित प्रतिफल के बदले जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विवादित आराजी के तत्कालीन खातेदारान से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। उक्त तथ्यों की ताईद प्रतिवादीगण के इकवालिया जवाब से भी होती है।

आदेश

अतः वादनी का वाद स्वीकार किया जाता है कि ग्राम होडापुरा आराजी खसरा नं. 585 रकबा 3.04 बीघा वादनी ने प्रतिवादी क्रम 1,2,3 एवं 4 ता 13 के पिता, पति, पितामह इमरतलाल से दिनांक 24.06.2005 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय पत्र के आधार पर वादनी को खातेदार घोषित किया जाता।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
शाहाबाद
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

23-Dec-19 11:25:55

Scanned by CamScanner